



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-४
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्सडू पोस्ट विदाउट प्रीपेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 1986
मार्गशीर्ष 14, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2012/सत्रह-वि-1-1(क)-30-1986
लखनऊ, 5 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1986

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1986]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1986 संक्षिप्त नाम
कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 29
सन् 1983 की
धारा 6 का
संशोधन

2 - उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-
“(ड) सचिव और उनकी अनुपस्थिति में, विशेष सचिव, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मार्थ कार्य विभाग-पदेन;”।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 2012 (2)/XVII-V—1-1-(KA)30-1986

Dated Lucknow, December 5, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Mandir (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1986), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 1, 1986 :

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE
(AMENDMENT) ACT, 1986.

(U. P. Act no. 25 of 1986)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 1986.

Amendment of
section 6 of U.P.
Act no. 29 of
1983

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983, in sub-section (2), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

“(e) Secretary, and in his absence, Special Secretary, if any, to the Government of Uttar Pradesh in Dharmarth Karya Vibhag—*ex-officio*.”.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.